राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.12(6)शिक्षा–5/2014 जयपुर, दिनांकः 30.7.14

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बीकानेर, राजस्थान।

विषयः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2014–15 से प्रभावी प्रवेश प्रकिया संबंधी दिशा निर्देशों के टाईम फ्रेम में संशोधन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांकः प.12 (6) शिक्षा–5/2014 जयपुर, दिनांकः 3.2.2014, के द्वारा सत्र 2014–15 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे। पत्र क्रमांकः प.12 (6) शिक्षा–5/2014 जयपुर, दिनांकः 15.7.2014 द्वारा दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 4 पर वर्णित टाईम फ्रेम में संशोधन किया गया था। उक्त टाईम फ्रेम के अनुसार लॉटरी के उपरान्त अप्रैल व मई से सत्र आरम्भ करने वाले ऐसे विद्यालय जिनमें एक भी आवेदन पत्र की प्रविष्टि नहीं हुई है तथा दोनों सत्रों के ऐसे विद्यालय जिनमें लॉटरी के उपरांन्त भी निःशुल्क प्रवेश हेतु सीटें रिक्त रह गई है, उन विद्यालयों को पुनः एक अवसर देते हुए निम्नानुसार टाईम फ्रेम जारी किया जाता है :–

क. सं.	विवरण/गतिविधि	अप्रैल व मई या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को सत्र प्रारम्भ करने वाले विद्यालयों के लिए पूर्व निर्धारित तिथियॉं	नवीन तिथियां	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	15 अप्रैल तक	1 अगस्त तक	संबंधित निजी विद्यालय
2	आवेदन पत्रों का वितरण	18 जुलाई तक	7 अगस्त तक	संबंधित निजी विद्यालय
3	आवेदन पत्र प्राप्ति	19 जुलाई तक	8 अगस्त तक	संबंधित निजी विद्यालय
4	आवेदन पत्रों की जांच एवं सही आवेदन पत्रों की वेब पोर्टल पर प्रविष्टी	23 जुलाई तक	11 अगस्त तक	संबंधित निजी विद्यालय
5	ऑन लाईन लाटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का प्राथमिकता कम निर्धारण	25 जुलाई	12 अगस्त	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
6	बालकों का विद्यालय में प्रवेश	26 जुलाई से	13 अगस्त से	संबंधित निजी विद्यालय
7	निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एन्ट्री	31 जुलाई तक यथावत	16 अगस्त तक	संबंधित निजी विद्यालय

क्रमशः 2 पर

यह संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। अतः इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों को पूर्वानुसार तत्काल सूचित करावें तथा एनआईसी के माध्यम से वेब पोर्टल पर आवश्यक संशोधन को अपलोड करावें।

भवदीय,

वरिष्ठ शासन उप सचिव,

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/सॉफ्टवेयर निर्माण/18894/13–14/3 दिनांकः– 30.7.14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा,शासन सचिवालय जयपुर को उनके पत्रांक प.12(6)शिक्षा–5/2014पार्ट दिनांक 30.7.14 के कम में।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को सूचित कर अनुपालना करवावें।
6. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक एवं प्रोजेक्ट समन्वयक एन.आई.सी केन्द्र जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेशों में सशोंधित टाईम फ्रेम में दी तिथियों के अनुसार आरटीई वेब पोर्टल पर कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं पोर्टल पर इस संबंध में फलैश मैसेज भी प्रदर्शित करावें।
7. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा................................ ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा..............................को प्रेषित कर लेख है कि जिले के सभी अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित कर आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें एवं संशोधित टाईम फ्रेम का स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञप्ति के माध्यम से पर्याप्त प्रचार प्रसार करें।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर